संख्या-390/2023/1410/22-2-2023-17(407)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री करनपाल, निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13821/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.04.2023, दिनांक 27.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री करनपाल, भटौली, थाना-दातागंज, जनपद-बदायूं का निवासी है। बंदी ने बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.02.2002 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व फरसा से मारकर सुरेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-499/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ के आदेश दिनांक 30.0720.08 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.0120.19 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 15.03.2023 तक 15 वर्ष 03 माह, 22 दिन अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी राजेश पुत्र श्री करनपाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 51 वर्ष की आयु तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश (बन्दी संख्या-44740) पुत्र श्री करनपाल, निवासी जनपद-बदायूं की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-390/2023/1410(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बदायूं।

2- श्री संजय कुमार त्योगी, एडवोकेट आंन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-12085/2022 राजेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में द्वारा नोडल अधिकारी।

3- श्री अभिनव एस अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च्तम न्यायालय, नई दिल्ली को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-12085/2022 राजेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में द्वारा नोडल अधिकारी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-12085/2022 राजेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 व दिनांक 01.05.2023 के सन्दर्भ में।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।